

# राज्य साख योजना 2009-10

## STATE CREDIT PLAN 2009- 10

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण

**विभाग का नाम:-** संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

1	<p>योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप-योजनावार प्रेषित की जाए।)</p> <p>Name of the scheme with Sub-Components, if any.</p>	<p>1) सूक्ष्म सिंचाई शासन योजना  अ. टपक/बूंद-बूंद सिंचाई  ब. तुषार/फव्वारा सिंचाई  स. टपक/बूंद-बूंद सिंचाई तकनीक प्रदर्शनी</p> <p>2) राष्ट्रीय बागवानी मिशन अंतर्गत  अ. कोल्ड स्टोरेज यूनिट  ब. रेफ्रिजरेटेड वेन</p> <p>1- a. Drip Irrigation  b. Sprinklar Irrigation System  c. Technology Dissemination through demonstrations</p> <p>2- a. Cold Storage  b. Regregerated Van</p>
2	<p>क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है।</p> <p>Whether it is a Government of India/State Government sponsored Scheme ?</p>	<p>1- राज्य एवं केन्द्र शासन योजना  2- राज्य एवं केन्द्र शासन योजना</p> <p>1 - State &amp; Central Govt. Scheme  2 - State &amp; Central Govt. Scheme</p>
3	<p>राज्य शासन के स्तर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग.</p> <p>Nodal department/directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.</p>	<p>उद्यानिकी (कृषि विभाग)</p> <p>Horticulture Department (Agricuture Department)</p>
4	<p>जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग.</p> <p>Nodal office at the District level responsible for implementing the Scheme.</p>	<p>उप/सहायक संचालक उद्यान</p> <p>Dy.Director/Asstt.Director Horticulture</p>
5	<p>योजना का उद्देश्य</p> <p>Objective of the Scheme</p>	<p>1 - उपलब्ध जल की अधिकतम उपयोग हेतु महत्वाकांक्षी योजना  2 - उद्यानिकी फसलों को उत्पादन के पश्चात् खराब होने से बचाने की योजना</p> <p>1 - To increase Water uses efficiency of available water  2 - To protect crops after production</p>

6	<p>क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों/जिलों/विकास खण्डों के नाम दर्शाये जाए।</p> <p>Whether the scheme is being implemented in all the districts of the State ? If not indicate the regions/ districts/blocks where the Scheme is under implementation.</p>	<p>1 – अ. सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है।          ब. सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है।          स. सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है।</p> <p>2 – अ. ग्यारह जिलों में क्रियान्वित की जा रही है (जगदलपुर, कवर्धा, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा, कोरबा, दुर्ग, जशपुर, कोरिया, रायपुर, राजनांदगांव)।          ब. ग्यारह जिलों में क्रियान्वित की जा रही है (जगदलपुर, कवर्धा, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा, कोरबा, दुर्ग, जशपुर, कोरिया, रायपुर, राजनांदगांव)।</p> <p><b>1 a.</b> Being implemented in all Districts.  <b>b.</b> Being implemented in all Districts.  <b>c.</b> Being implemented in all Districts.</p> <p><b>2.a.</b> Being implemented in seven Districts (Bastar, Kbirdham, Bilaspur, Raigarh, Sarguja, Korba, Durg, Jashpur Nagar, Koriya, Raipur, Rajnandgaon).  <b>b.</b> Being implemented in seven Districts (Bastar, Kbirdham, Bilaspur, Raigarh, Sarguja, Korba, Durg, Jashpur Nagar, Koriya, Raipur, Rajnandgaon.)</p>
7	<p>किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये है (लघु कृषक/सीमान्त कृषक/अन्यकृषक/ अनुसूचितजाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ पुरुष/ महिला आदि)</p> <p>Type of beneficiaries covered under the Scheme. (SF/MF/OF/SC/ST/Other/Men/Women etc.)</p>	<p>सभी वर्ग के भू-स्वामी कृषक।</p> <p>All types of Land holding farmers.</p>
8	<p>हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदण्ड, यदि कोई हो तो</p> <p>Eligibility criteria for the beneficiary, if any.</p>	<p>1- भू-स्वामी कृषक जिनके पास ड्रिप/ स्प्रिंकलर प्रणाली लगाने हेतु उपयुक्त खड़ी फसल हो।</p> <p>1- As per criteria prescribed by the NABARD.          2. Landowner farmer of the land to produce identified crops.</p>

9	<p>क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/ समूह स्तर पर/ दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/ दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है।</p> <p>Whether assistance is provided on an individual basis/ group basis both individual and group basis.</p>	<p>1- अ. व्यक्तिगत स्तर पर ब. व्यक्तिगत स्तर पर स. व्यक्तिगत स्तर पर</p> <p>2- अ. व्यक्तिगत स्तर पर ब. व्यक्तिगत स्तर पर</p> <p>1. <b>a. Individual</b> <b>b. Individual</b> <b>c. Individual</b></p> <p>2. <b>a. Individual</b> <b>b. Individual</b></p>
10	<p>प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये।)</p> <p>Details of subsidy provided. if the subsidy is provided on the basis of category of beneficiary, please give category wise details rate (%)</p> <p>Minimum Maximum GOI Contribution State Government contribution</p>	<p>1- अ. संपूर्ण सहायता लागत के 70 प्रतिशत होगी। यह सहायता निर्धारित फसल एवं फसलों के बीच की दूरी के आधार पर अधिकतम 4 हेक्टेयर तक देय होगा। ब. संपूर्ण सहायता लागत के 70 प्रतिशत अथवा 10500/- हेक्टेयर होगी। स. संपूर्ण सहायता लागत के 75 प्रतिशत होगी। अधिकतम 0.5 हेक्टेयर तक देय होगा।</p> <p>2- अ. ऋण प्रावधानित बैंक एंडेड अनुदान परियोजना के पंजीगत व्यय पर सामान्य क्षेत्र में 25 प्रतिशत तथा पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्रों में 33.33 प्रतिशत ब. ऋण प्रावधानित बैंक एंडेड अनुदान परियोजना के पंजीगत व्यय पर सामान्य क्षेत्र में 25 प्रतिशत तथा पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्रों में 33.33 प्रतिशत</p> <p>1- a. The assistance will be limited to 50% of the cost of the System for the specified crop spacing and for the area covered under the crop by the farmer. b. Financial assistance to be beneficiary for sprinkler irrigation will be limited to 50 percent of the system cost subject to a maximum of Rs. 10500/- per ha. c. For demonstration assistance would be provided @75% of unit cost for a maximum area of 0.5 ha. per beneficiary.</p> <p>2- a. Credit linked back-ended subsidy @ 25% of the total project cost in general areas and 33.33% in case of Hilly &amp; Tribla Areas. b. Credit linked back-ended subsidy @ 25% of the total project cost in general areas and 33.33% in case of Hilly &amp; Tribla Areas.</p>

11	<p>क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन देने का प्रावधान है। यदि हाँ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाए।</p> <p>Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided if so, details thereof may please be provided for different categories of beneficiaries.</p>	<p>नहीं</p> <p>No</p>
12	<p>किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ योजनांतर्गत अपेक्षित हैं।</p> <p>Type of economic activities envisaged under the scheme.</p>	<p>1. अ. फल, सब्जियों, औषधि एवं सुगंधित फसलों के लिए कृषक प्रक्षेत्र पर ड्रिप एवं स्प्रिंकलर की स्थापना          ब. फल, सब्जियों, औषधि एवं सुगंधित फसलों के लिए कृषक प्रक्षेत्र पर ड्रिप एवं स्प्रिंकलर की स्थापना          स. फल, सब्जियों, औषधि एवं सुगंधित फसलों के लिए कृषक प्रक्षेत्र पर ड्रिप एवं स्प्रिंकलर की स्थापना          2. अ. कृषक प्रक्षेत्र पर कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करना</p> <p>1- a. Establishment of Drip/Sprinklar System i the farmer's field for Fruit, Vegetable, Medicinal &amp; Aromatic crop.          b. Establishment of Drip/Sprinklar System i the farmer's field for Fruit, Vegetable, Medicinal &amp; Aromatic crop.          c. Establishment of Drip/Sprinklar System i the farmer's field for Fruit, Vegetable, Medicinal &amp; Aromatic crop.          2-a. Establishment of Cold Storage in the farmer field.</p>

13	<p>क्या व्यक्तिगत हितग्राही/ समूह के लिये कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है। यदि हाँ तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।</p> <p>Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/group. If so please give details.</p>	<p>1- अ. 26500/- प्रति हेक्टेयर एक हितग्राही के लिए 5 हेक्टेयर अधिकतम  ब. 7500/- प्रति हेक्टेयर एक हितग्राही के लिए 5 हेक्टेयर के लिए 5 हेक्टेयर अधिकतम  स. 13000/- प्रति हेक्टेयर एक हितग्राही के लिए</p> <p>2- अ. 50.00 लाख प्रति इकाई प्रति हितग्राही (सामान्य) तथा 66.66 लाख पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों के लिए  ब. 6.00 लाख प्रति इकाई प्रति हितग्राही (सामान्य) तथा 7.992 लाख पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों के लिए</p> <p>1- a. 26500/- per beneficiary per hacter  Maximum up to 5 hacter per beneficiary  b. Per beneficiary Rs. 7500/- per Hect. &amp; Maximum upto 5 Hect.  c. 13000/- per hacter per beneficiary</p> <p>2- a. 50 Lakh per unit per beneficiary for General areas &amp; 66.66 lakh in case of Hilly &amp; Tribal Areas.  b. 50 Lakh per unit per beneficiary for General areas &amp; 7.992 lakh in case of Hilly &amp; Tribal Areas.</p>
14	<p>क्या योजनांतर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है।</p> <p>Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.</p>	<p>हां</p> <p>Yes</p>
15	<p>क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिये राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स) तैयार कर लिये गये हैं।</p> <p>Whether any project profiles etc. have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.</p>	<p>हां</p> <p>Yes</p>
16	<p>अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।</p> <p>Additional details, if any</p>	<p>कोई विशेष नहीं।</p> <p>No any prescribed details.</p>